राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 21/22 दायर दिनांक 30.6.2022

पीठासीन अधिकारी—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. दाखा देवी पत्नि भोलूराम जाति जाट नि0 भदूण तह0 रूपनगढ़

......प्रार्थिया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू—राज0 अधि0 1956

निर्णय दिनांक 17.10.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की स्वामित्व, आधिपत्य, एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम भदूण पटवार हल्का भदूण भू—अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 148 में ख0न0 763/279 रकबा 0.8494 है0, 765/279 रकबा 3.1712 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 4.0206 है0 है जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीया के नाम हिस्सा सम्पूर्ण एकल खातेदारी में दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थीया कब्जा काश्त करती चली आ रही है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीया के नाम एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज हैं। प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीया मौके पर काबिज काश्त करती चली आ रही हैं तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थीया से पडौसी खातेदारान नींव, सींव को लेकर विवाद करते है, इसलिए प्रार्थीया की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया निर्बाध रूप से अपनी कृषि आराजी पर काबिज काश्त करता चली आ रही हैं, भविष्य में वाद बाहुल्यता ना बढ़ें इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थिया की उक्त आराजी में श्रवणाधिकार क्षेत्र माननीय न्यायालय को है, इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम भदूण की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2072—75 जमाबन्दी (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 148 में ख0न0 763/279 रकबा 0.8494 व ख0न0 765/279 रकबा 3.1712 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.0206 है0 भूमि प्रार्थिया दाखां देवी पत्नि भोलूराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भदूण के खाता संख्या 148 ख0न0 763/279 रकबा 0.8494 व ख0न0 765/279 रकबा 3.1712 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 4.0206 है0 भूमि के पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/— अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। [illegible] हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/— अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये च[illegible] होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [illegible] शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)